



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि: 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-578/NH-53/Electric/2025-26/ 3373

Date: 29.01.2026

Invitation of Public Comments

Sub: 4 laning of Nagpur - Kondhali section of NH-53 from km 9.200 to km 50.000 in the State of Maharashtra on BOT Basis -Proposal for laying of water pipeline from km 24.450 to km 36.980 (RHS) and km 36.980 to km 37.500 (LHS) and crossing at km 36.980 -Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Amravati letter no. 2847 dated 21.01.2026.
2. M/s Solar Defence and Aerospace Ltd. Nagpur letter no. 1680 dated 09.12.2025.

It is to inform all concern that M/s Solar Defence and Aerospace Ltd. Nagpur letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PIU has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that M/s Solar Defence and Aerospace Ltd. Nagpur for subject section is as follows:

- Laying of water pipeline from km 24.450 to km 36.980 (RHS) and km 36.980 to km 37.500 (LHS)
- Underground crossings at km 36.980.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 28.01.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440001,
Maharashtra, Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org


29/01/26

(निर्मल एम. झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

- (i) Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
- (ii) Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in].



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-578/एनएच-53/इलेक्ट्रिक/2025-26/ 3373

दिनांक: 29.01.2026

सार्वजनिक टिप्पणियों का निमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में बीओटी आधार पर एनएच-53 के नागपुर- कोंढाली खंड को किमी 9.200 से किमी 50.000 तक 4 लेन का बनाना - किमी 24.450 से किमी 36.980 (आरएचएस) और किमी 36.980 से किमी 37.500 (एलएचएस) तक पानी की पाइपलाइन बिछाने और किमी 36.980 पर क्रॉसिंग का प्रस्ताव - रेग।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू अमरावती पत्र संख्या 2847 दिनांक 21.01.2026।
2. मेसर्स सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड नागपुर पत्र संख्या 1680 दिनांक 09.12.2025।

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड, नागपुर ने संदर्भ (2) के पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीआईयू ने संदर्भ (1) के पत्र के तहत सक्षम प्राधिकारी/राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

2. मेसर्स सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड, नागपुर द्वारा सबजेक्ट सेक्शन के लिए प्रस्तावित अलाइनमेंट इस प्रकार है:

- km 24.450 से km 36.980 (RHS) और km 36.980 से km 37.500 (LHS) तक पानी की पाइपलाइन बिछाना
- km 36.980 पर अंडरग्राउंड क्रॉसिंग।

3. मंत्रालय के सर्कुलर नंबर RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), तारीख 22.11.2016 के पैरा-4 के मुताबिक, हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन को दावे और आपत्तियां (पब्लिक की परेशानी, सुरक्षा और आम पब्लिक के हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, मिनिस्ट्री के 28.01.2016 के सर्कुलर के हिसाब से, प्रभावित लोगों के कमेंट्स/ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं। ऑब्जेक्शन/कमेंट्स, पब्लिक कमेंट्स जारी होने के 30 दिनों के अंदर नीचे दिए गए पते पर भेजे जा सकते हैं, तय तारीख के बाद कोई भी कमेंट/ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर", तिसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001,

महाराष्ट्र, दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

(निर्मल एम. शिंदे)
जीएम (तकनीकी)

में कॉपी:

- (i) वेब एडमिन, NHAI, हेडक्वार्टर, नई दिल्ली - NHAI की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]
- (ii) डायरेक्टर, NIC, नई दिल्ली - मिनिस्ट्री की वेबसाइट [mansoor@nic.in] पर अपलोड करने के लिए।